



विलंब

258

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर क्रम संख्या

हरजुबा तनय पालीछत अहिरवार, (हरजुबा)

निवासी- ग्राम डुढियनखेडा, तहसील वल्देबगढ, जिला टीकमगढ

आज दि 22/9/17

.....आवेदक

बदल
22 9/17
राजस्व मंडल ग्वालियर

वनाम I/अपील/टीकमगढ/क्रम संख्या/2017/3439

- 1- ब्रजनंदन तयन छोटेलाल चढार, 2- रतिराम तनय छोटेलाल चढार,
- 3- नोनीबाई बेवा छोटेलाल चढार,

सभी निवासी-ग्राम देवरदा, तहसील वल्देबगढ, जिला टीकमगढ

.....अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 44/2 म0 प्र0 मू0 रा0 संहिता :-

आवेदक की ओर से निवेदन है:-

1- यह कि आवेदक यह निगरानी न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय वल्देवगढ जिला टीकमगढ द्वारा प्र0 क0 86/अपील/2016-17 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 14/09/2017 से परिवेदित होकर कर रहा हैं। माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2- यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि- तहसीलदार बल्देवगढ जिला टीकमगढ द्वारा रा0प्र0क0 30/अ-3/1999-2000 में पारित आदेश दिनांक 30/09/2000 के विरुद्ध, एक अपील अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 17/08/2017 को करीब 17 साल उपरांत प्रस्तुत की गई थी। जिसके साथ प्रतिअपीलार्थीगण द्वारा एक आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम का प्रस्तुत किया गया था, जिसमें ना तो जानकारी का श्रोत बताया गया था, ना ही बिलंब का पर्याप्त एवं समाधानप्रद कारण बताया गया था। उसके साथ जो

C.F.
25/9/17

3

अपील/टीकमगढ/क्रम संख्या/2017/3439

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- एक / अपील / टीकमगढ़ / भू.रा. / 2017 / 3439

हरजुवा विरुद्ध बृजनंदन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-02-2019	<p>आवेदक की ओर से श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी वल्देवगढ़, जिला-टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 86/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 14-09-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 15-4-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(आर.के. जैन) सदस्य 20/2/2019</p>